न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 138 / 2022

सुनिल पुत्र जगन, जाति जाट, निवासी सोटवारा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ आदेश विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.07.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुनिल मु. न. 5 / 2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री अनूप गिल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 22.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ के निर्णय दिनांक 26.07.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न अनुसार पेश है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत ग्राम साटवारा के गैर मुमकीन जोहड खसरा नं0 576 कुल रकबा 12.69 हैक्टर में अतिक्रमी मानकर किये गये अतिक्रमण को बेदखल किये जाने का जो आदेश दिया है यह आदेश कानूनन व पत्रावली सही नही होने से व्यथित होकर अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है जो निम्न प्रकार से है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.07.2022 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली है। अदालत मातहत ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश विधिक दृष्टि से कतई सही नही है तथा न ही तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अदालत मातहत ने आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दिये गये नोटिस में अपीलान्ट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जो जवाब प्रस्तुत किया है उस जवाब में अंकित तथ्यों की अदालत मातहत ने न तो जांच करवायी तथा न ही उनके संबंध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य रिकार्ड पर लिया। क्योकि अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किया था कि गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 से सीमा लगता हुआ उसके स्वयं का खेत खसरा नं0 582 है तथा तमाम निर्माण कार्य उसके अपने पूर्वजों द्वारा करीब 50 वर्ष पूर्व बनाये हुये है जिनमें पशुओ के ढारे, छप्पर, पानी की टंकी वगैरह ... सब निर्माण कार्य अपने खेत खसरा नं0 582 में पक्के मकान बनाकर आबाद है लेकिन अदालत मातहत ... अपीलान्ट के खेत खसरा 582 व गैर मुमकीन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नम्बर 576 का माप नही ... या। इस कारण यह कैसे माना जा सकता है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन जोहड ... क्योंकि पटवारी ... सोटवारा की रिपोर्ट के अनुसार भी यह सुस्थापित है कि खसरा नं0. 576 ... मुमकिन जोहड की सीमा ... अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 582 की सीमा आपस में लगती है लेकिन पटवारी ग्राम सोटवारा में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 582 का बिना माप किये ही तथा गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 का भी बिना माप किये अपीलान्ट को गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 के 0.0060 हैक्टर रकबे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

पर अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट पेश कर दी तथा पटवारी ने नजरी नक्शा अपनी मर्जी से झूठा बनाकर अदालत मातहत में पेश किया है व अदालत मातहत ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त नजरी नक्शा व पटवारी रिपोर्ट पर बिना किसी सम्पुष्टि साक्ष्य के विश्वास कर कानूनी गलती की है। क्योंकि पटवारी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में नही बनाई तथा न ही ग्राम सोटवारा के किसी जनप्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति उपस्थिति में बनाई तथा न ही उक्त रिपोर्ट की सूचना पटवारी ने अपीलान्ट को दी तथा पटवारी ने उक्त रिपोर्ट बाबत अपीलान्ट को अपनी और से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तो के विपरीत है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान भी इस प्रकरण में लागू नही होते है। क्योंकि गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 कुल रकबा 12.69 हैक्टर का जो जोहड दर्शाया गया है। उसकी किस्म केवल गैर मुमकिन जोहड की ही नही है बल्कि 12.6900 हैक्टर क्षेत्रफल में से 12.5000 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड दर्शाया गया है व बाकी 0.1900 हैक्टर गैर मुमकीन दर्शायी गई है। इस प्रकार इस बात की भी कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड पत्रावली पर भी नही है कि विवादित अतिक्रमण स्थल गैर मुमकिन जोहड है या गैर मुमकिन किस्म की भूमि है। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर अदालत मातहत का निर्णय मूक है। पटवारी ग्राम हल्का सोटवारा उक्त प्रकरण में बतौर साक्षी भी परिक्षित नही हुआ है तथा अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है वह विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट सेवामें पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ का आदेश दिनांक 26.07.2022 को अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट विकल्प में यह भी निवेदन करता है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नं0 582 जो उक्त तथाकथित गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 की सीमा से लगती है दोंनों का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की प्रति अपीलान्ट को दिया जाकर सूचित किया जावे ताकि यथार्थ न्यायालय के समक्ष आ जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश विधिक दृष्टि से कतई सही नही है तथा न ही तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अदालत मातहत ने आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दिये गये नोटिस में अपीलान्ट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जो जवाब प्रस्तुत किया है उस जवाब में अंकित तथ्यों की अदालत मातहत ने न तो जांच करवायी तथा न ही उनके संबंध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य रिकार्ड पर लिया। क्योकि अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किया था कि गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 से सीमा लगता हुआ उसके स्वयं का खेत खसरा नं0 582 है तथा तमाम निर्माण कार्य उसके अपने पूर्वजों द्वारा करीब 50 वर्ष पूर्व बनाये हुये है जिनमें पशुओ के ढारे, छप्पर, पानी की टंकी वगैरह है तथा वे सब निर्माण कार्य अपने खेत खसरा नं0 582 में पक्के मकान बनाकर आबाद है लेकिन अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खेत खसरा 582 व गैर मुमकीन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नम्बर 576 का माप नही करवाया। इस कारण यह कैसे माना जा सकता है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन जोहड में अतिक्रमण कर रखा है। क्योंकि पटवारी ग्राम सोटवारा की रिपोर्ट के अनुसार भी यह सुस्थापित है कि खसरा नं0. 576 गैर मुमकिन जोहड व उसकी सीमा व अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 582 की सीमा आपस में लगती है लेकिन पटवारी ग्राम सोटवारा ने अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 582 का बिना माप किये ही तथा गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 का भी बिना माप किये अपीलान्ट को गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 के 0.0060 हैक्टर रकबे पर अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट पेश कर दी तथा पटवारी ने नजरी नक्शा अपनी मर्जी से झूठा बनाकर अदालत मातहत में पेश किया है व अदालत मातहत ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त नजरी नक्शा व पटवारी रिपोर्ट पर बिना किसी सम्पुष्टि साक्ष्य के विश्वास कर कानूनी गलती की है। क्योंकि पटवारी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kurl
Date: 2022.11.18 10:41:13 IST
Reason: SelfAttested

स्तुत उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में नही बनाई तथा न ही ग्राम सोटवारा के किसी जनप्रतिनिधि ा किसी अन्य व्यक्ति उपस्थिति में बनाई तथा न ही उक्त रिपोर्ट की सूचना पटवारी ने अपीलान्ट को दी था पटवारी ने उक्त रिपोर्ट बाबत अपीलान्ट को अपनी और से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तो के विपरीत है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम के प्रावधान भी इस प्रकरण में लागू नही होते है। क्योंकि गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा बसरा नं0 576 कुल रकबा 12.69 हैक्टर का जो जोहड दर्शाया गया है। उसकी किस्म केवल गैर मुमकिन जोहड की ही नही है बल्कि 12.6900 हैक्टर क्षेत्रफल में से 12.5000 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड दर्शाया गया है व बाकी 0.1900 हैक्टर गैर मुमकीन दर्शायी गई है। इस प्रकार इस बात की भी कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड पत्रावली पर भी नही है कि विवादित अतिक्रमण स्थल गैर मुमकिन जोहड है या गैर मुमकिन किस्म की भूमि है। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर अदालत मातहत का निर्णय मूक है। पटवारी ग्राम हल्का सोटवारा उक्त प्रकरण में बतौर साक्षी भी परिक्षित नही हुआ है तथा अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है वह विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ का आदेश दिनांक 26.07.2022 को अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट विकल्प में यह भी निवेदन करता है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नं0 582 जो उक्त तथाकथित गैर मुमकिन जोहड ग्राम सोटवारा खसरा नं0 576 की सीमा से लगती है दोंनों का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की प्रति अपीलान्ट को दिया जाकर सूचित किया जावे ताकि यथार्थ न्यायालय के समक्ष आ जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम सोटवारा स्थित सरकारी भूमि ख0न0 576 रकबा 12691 हैक्टर किस्म गै0मु0जोहड मे से 0.0060 हैक्टेयर भूमि पर शौचालय, स्नानघर व टीनशेड बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम सोटवारा स्थित सरकारी भूमि ख0न0 576 रकबा 12691 हैक्टर किस्म गै0मु0जोहड मे से 0.0060 हैक्टेयर भूमि पर शौचालय, स्नानघर व टीनशेड बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2022 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक [illegible] में सुनाया गया।

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:13 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं